INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES



ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग: भारतीय विदेश नीति, वैश्विक शक्ति-संतुलन एवं कूटनीतिक चुनौतियों का राजनीतिक-विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. बृजेश स्वरुप सोनकर

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

कर्म क्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ.प्र.)

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध-पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक ढांचा 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहा है। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीव्र गति से उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्था, तथा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सर्वाधिक सैनिक योगदान देने वाला देश है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का एक अत्यंत न्यायसंगत और स्वाभाविक दावेदार है। यह अध्ययन यथार्थवाद और नव-उदारवादी बहुपक्षवाद के सैद्धांतिक आलोक में भारत के बहुआयामी दावों (जनसांख्यिकी, आर्थिक क्षमता, सैन्य योगदान, क्षेत्रीय प्रभाव तथा गुटनिरपेक्षता/सॉफ्ट पावर) का परीक्षण करता है। साथ ही, यह शोध-पत्र पी-5 देशों की वीटो शक्ति पर आधारित रवैये, 'कॉफ़ी क्लब' (यूनिटिंग फॉर कंसेंसस) के विरोध, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की प्रक्रियात्मक बाधाओं जैसी कूटनीतिक चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्यता, भारतीय विदेश नीति, वीटो पावर, जी-4, एल.69 समूह, कॉफ़ी क्लब, शक्ति-संतुलन, बहुध्रुवीयता।

परिचय (Introduction)

द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका के पश्चात अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसके छह प्रमुख अंगों में सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को प्रदत्त यह दायित्व उसे वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण निर्णयकारी निकाय बनाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना के समय इसमें 11 सदस्य थे, जिनमें पाँच स्थायी तथा छह अस्थायी सदस्य शामिल थे। वर्ष 1963 में

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परिषद के विस्तार के लिए चार्टर संशोधन को स्वीकृति दी, जो 31 अगस्त 1965 को प्रभावी हुआ। इसके परिणामस्वरूप परिषद की सदस्य संख्या बढ़कर 15 हो गई, जिसमें पाँच स्थायी सदस्य– अमेरिका, रूस (तत्कालीन सोवियत संघ), ब्रिटेन, फ्रांस और चीन–तथा दो वर्ष के लिए निर्वाचित होने वाले दस अस्थायी सदस्य शामिल हैं। स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद की निर्णय-प्रक्रिया में विशेषाधिकार प्रदान करती है। इस व्यवस्था में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात की शक्ति-संरचना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरी नई शक्तियों और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सीमित बना हुआ है।

भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है और उसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति, उपनिवेशवाद के उन्मूलन, नस्लीय भेदभाव के विरोध तथा विकासशील देशों के हितों की पैरवी में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का विशेष स्थान रहा, जिसका उद्देश्य शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका-नेतृत्व वाले पश्चिमी गुट और सोवियत संघ-नेतृत्व वाले पूर्वी गुट के बीच किसी एक सैन्य गुट का अनुयायी बने बिना स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना था। इस दृष्टिकोण ने भारत को नवस्वतंत्र देशों के राजनीतिक हितों तथा अधिक न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की मांग का समर्थक बनाया। शीतयुद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संतुलन में परिवर्तन, वैश्वीकरण, आर्थिक शक्तियों के उभार तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के विस्तार ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थागत संरचना में सुधार की आवश्यकता को और प्रासंगिक बनाया। भारत ने इसी संदर्भ में सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार तथा अधिक प्रतिनिधिक व्यवस्था की मांग को अपनी विदेश नीति का महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाया। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के जी-4 समूह ने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए संयुक्त प्रयास किए। नवंबर 2012 में भारत सरकार ने संसद में प्रस्तुत अपने वक्तव्य में उल्लेख किया कि जी-4 ने परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25 करने तथा छह नए स्थायी और चार नए अस्थायी सदस्य जोड़ने का प्रस्ताव रखा था।

इस प्रकार, भारत की स्थायी सदस्यता की मांग केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अथवा शक्ति-विस्तार का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शासन में प्रतिनिधित्व, निर्णय-निर्माण की समानता और बदलती अंतरराष्ट्रीय शक्ति-संरचना के अनुरूप संस्थागत सुधार से भी संबंधित है। इस शोध में दिसंबर 2018 तक की ऐतिहासिक एवं कूटनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भारत की दावेदारी, प्रमुख शक्तियों के दृष्टिकोण तथा सुरक्षा परिषद के सुधार में विद्यमान राजनीतिक अवरोधों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (Historical Context)

संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण और सुरक्षा परिषद के प्रारंभिक इतिहास में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है, जिसने 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, यद्यपि उस समय भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था :

- प्रारंभिक दौर एवं गुटनिरपेक्षता: स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने गुटनिरपेक्षता और विऔपनिवेशीकरण का मार्ग अपनाया। 1950 के दशक में जब महाशक्तियों के

मध्य शीतयुद्ध चरम पर था, भारत ने कोरियाई युद्ध और स्वेज संकट जैसे वैश्विक तनावों को सुलझाने में एक मध्यस्थ एवं शांतिदूत की भूमिका निभाई।

- 1950 के दशक की भू-राजनीतिक स्थितियाँ: ऐतिहासिक दस्तावेजों और राजनीतिक विमर्शों के अनुसार, 1950 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल करने के संबंध में अनौपचारिक संकेतों व चर्चाओं का उल्लेख मिलता है (जैसे चीन के स्थान पर भारत को सीट देने की बातें)। परंतु उस कालखंड में भारत ने एशिया-अफ्रीका महाद्वीपों की एकजुटता और रणनीतिक प्राथमिकताओं के कारण इस पर सक्रिय पहल नहीं की।
- शीतयुद्ध उत्तर काल और व्यवस्थित मांग: 1990 के दशक में शीतयुद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ के विघटन, और भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय विदेश नीति को एक नया मोड़ दिया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और विस्तार पर औपचारिक चर्चा शुरू हुई। भारत ने 1990 के दशक से सुरक्षा परिषद में सुधारों को अपनी बहुपक्षीय कूटनीति का केंद्रीय एजेंडा बनाया। 2004 में भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर जी-4 समूह का गठन किया, जिसका उद्देश्य सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार हेतु संयुक्त रूप से प्रयास करना था।

शोध पद्धति एवं प्रविधि (Research Methodology)

यह शोध-पत्र गुणात्मक, ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक तथा विषयगत शोध पद्धति पर आधारित है।

- **प्राथमिक स्रोत:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक प्रस्ताव एवं दस्तावेज, भारतीय विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, जी-4 और एल.69 समूहों के संयुक्त वक्तव्य, तथा सुरक्षा परिषद के अंतर-सरकारी वार्ताओं के अभिलेख।
- **द्वितीयक स्रोत:** अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के प्रतिष्ठित विद्वानों (जैसे सी. राजा मोहन, शशिकांत थारूर, रमेश ठाकुर, एश्ले टेलिस) के शोध-ग्रंथ, अकादमिक पत्रिकाओं के शोध-लेख एवं आधिकारिक आंकड़े।

साहित्य की समीक्षा (Review of Literature)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन और भारत के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों द्वारा व्यापक अकादमिक साहित्य उपलब्ध है:

1. थारूर, एस. (2012) - पैक्स इंडिका: इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21स्ट सेंचुरी: थारूर का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना 1945 की शक्ति-संरचना का जीवाश्म है। वे स्थापित करते हैं कि भारत के बिना सुरक्षा परिषद की वैधता और प्रभावशीलता अधूरी है, क्योंकि भारत की जनसंख्या और लोकतांत्रिक साख उसे एक अनिवार्य दावेदार बनाती है।
2. राजा मोहन, सी. (2003) - क्रॉसिंग द रुबिकॉन: द शेपिंग ऑफ इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी: राजा मोहन ने भारत के आदर्शवादी दृष्टिकोण से यथार्थवादी विदेश नीति की ओर रूपांतरण का विश्लेषण किया है।

उनका मानना है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने के लिए भारत को केवल नैतिक तर्कों पर निर्भर रहने के स्थान पर वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी आर्थिक व सैन्य शक्ति का रणनीतिक इस्तेमाल करना होगा।

3. ठाकुर, आर. (2006) - द यूनाइटेड नेशंस, पीस एंड सिक्योरिटी: संस्थागत दृष्टिकोण से ठाकुर का तर्क है कि पी-5 देश अपनी वीटो शक्ति और वर्चस्व को आसानी से साझा नहीं करना चाहते। वे जी-4 और कॉफ़ी क्लब के मध्य के द्वंद्व को सुरक्षा परिषद में सुधारों की मुख्य संवैधानिक रुकावट मानते हैं।
4. सिपरी और यूएन पीसकीपिंग अभिलेख: आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि भारत ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता रहा है, जिसने 49 से अधिक मिशनों में 2,00,000 से अधिक सैनिक भेजे हैं।

शोध-अंतराल (Research Gap)

विद्यमान साहित्य अधिकांशतः केवल भारत की योग्यताओं और पी-5 देशों के रुख के पारंपरिक विवरण तक सीमित रहता है। राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से–विशेषकर यथार्थवाद और बहुध्रुवीयता के एकीकृत ढांचे के तहत–भारत के दावे का बहुपक्षीय गठबंधनों (जैसे जी-4, एल.69, सी-10) की प्रभावशीलता तथा चीनी वीटो की रणनीतिक घेराबंदी के संदर्भ में संश्लेषित अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। प्रस्तुत शोध इसी राजनीतिक-संवैधानिक अंतर को भरने का प्रयास करता है।

शोध का महत्त्व एवं आवश्यकता (Significance and Need of the Study)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रश्न समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक शासन तथा शक्ति-संतुलन के अध्ययन की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। सुरक्षा परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने वाला निकाय है, किंतु इसकी वर्तमान संरचना द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात विकसित हुई शक्ति-व्यवस्था को प्रतिबिंबित करती है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, उभरती आर्थिक शक्तियों तथा विकासशील देशों की बढ़ती भूमिका के बावजूद परिषद की स्थायी सदस्यता में व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संदर्भ में भारत की दावेदारी का अध्ययन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिनिधिकता, वैधता तथा निर्णय-निर्माण में समान भागीदारी की समस्या को समझने के लिए आवश्यक है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना, उपनिवेशवाद के उन्मूलन, बहुपक्षीय सहयोग और विकासशील देशों के हितों की अभिव्यक्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इसके बावजूद सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं हुई है। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और उसकी संस्थागत स्थिति के बीच विद्यमान अंतर के प्रमुख कारण क्या हैं। विशेष रूप से, स्थायी सदस्यों के राष्ट्रीय हित, वीटो शक्ति, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की जटिल प्रक्रिया भारत की दावेदारी को किस सीमा तक प्रभावित करती है, इसका राजनीतिक विश्लेषण आवश्यक है।

अध्ययन का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि यह भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को केवल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन, अंतरराष्ट्रीय संस्थागत सुधार और बहुपक्षीय

कूटनीति के व्यापक संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। साथ ही, यह अध्ययन भारत की विदेश नीति, जी-4 समूह की भूमिका तथा प्रमुख शक्तियों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करके उन राजनीतिक एवं कूटनीतिक परिस्थितियों की पहचान करने में सहायक होगा, जो सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं।

शोध समस्या का केंद्रीय बिंदु यह है कि भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका और स्थायी सदस्यता के पक्ष में प्रस्तुत तर्कों के बावजूद उसकी दावेदारी निर्णायक परिणाम तक क्यों नहीं पहुँच सकी। अतः प्रस्तुत शोध में दिसंबर 2018 तक उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों एवं कूटनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर यह परीक्षण किया जाएगा कि भारत की सदस्यता के मार्ग में प्रमुख अवरोध संस्थागत संरचना से उत्पन्न होते हैं, महाशक्तियों के परस्पर विरोधी हितों से अथवा व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति के अभाव से।

- **राजनीतिक-सैद्धांतिक महत्त्व:** यह अध्ययन यह समझने के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है कि वैश्विक संस्थाएँ कैसे बदलती हुई शक्ति संरचनाओं के अनुकूल ढलने में संकोच करती हैं और कैसे एक उभरती हुई शक्ति बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से अपना स्थान बनाती है।
- **भारतीय विदेश नीति हेतु प्रासंगिकता:** भारत की महान शक्ति बनने की आकांक्षा में यूएनएससी की स्थायी सीट एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस अध्ययन से विदेश नीति के रणनीतिक विकल्पों को समझने में मदद मिलती है।
- **वैश्विक व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण:** यह शोध यह विश्लेषित करता है कि ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद में सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति व न्याय के लिए क्यों आवश्यक है।

शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के प्रमुख वैचारिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय व सैन्य आधारों का विश्लेषण करना।
2. जी-4, एल.69 तथा अफ्रीका समूह के माध्यम से चलाए जा रहे बहुपक्षीय कूटनीतिक अभियानों का मूल्यांकन करना।
3. पी-5 देशों (विशेषकर चीन) के दृष्टिकोण, 'कॉफ़ी क्लब' के विरोध, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन की प्रक्रियात्मक बाधाओं का परीक्षण करना।
4. 21वीं सदी की बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में भारत के लिए कूटनीतिक रणनीतियों और भविष्य की सम्भावनाओं की खोज करना।

शोध प्रश्न (Research Questions)

1. वे कौन से मुख्य कारक हैं जो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का एक स्वाभाविक और न्यायसंगत दावेदार बनाते हैं?
2. सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की प्रक्रिया में 'यूनिटिंग फॉर कंसेंसस' (कॉफ़ी क्लब) और पी-5 देशों की वीटो शक्ति किस प्रकार मुख्य बाधा के रूप में कार्य करती है?

3. चीन का क्षेत्रीय व वैश्विक विस्तारवाद भारत की स्थायी सदस्यता की राह में किस प्रकार का कूटनीतिक अवरोध उत्पन्न करता है?

सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का राजनीतिक विश्लेषण करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोणों का उपयोग आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में यथार्थवाद एवं शक्ति-संतुलन, उदार संस्थावाद एवं बहुपक्षीय सहयोग तथा वैश्विक शासन एवं संस्थागत प्रतिनिधित्व की अवधारणाओं को विश्लेषणात्मक आधार बनाया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से भारत की दावेदारी, प्रमुख शक्तियों के हितों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा सुरक्षा परिषद में सुधार की संभावनाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा :

1. यथार्थवाद एवं शक्ति-संतुलन का सिद्धांत

यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रमुख अभिकर्ता होते हैं तथा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति, प्रभाव और हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली पर शक्तिशाली राज्यों के हितों का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता एवं वीटो व्यवस्था को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात स्थापित यह व्यवस्था पाँच स्थायी सदस्यों को विशिष्ट संस्थागत अधिकार प्रदान करती है, जिनका उपयोग वे अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए कर सकते हैं। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग का यथार्थवादी विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक क्षमता, सैन्य सामर्थ्य, कूटनीतिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय योगदान महत्त्वपूर्ण होने के बावजूद संस्थागत शक्ति में परिवर्तन स्वतः नहीं होता। भारत की दावेदारी का मूल्यांकन करते समय चीन के साथ उसके रणनीतिक संबंधों, प्रमुख शक्तियों के परस्पर हितों तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार, यथार्थवाद यह समझने में सहायता करता है कि सुरक्षा परिषद में सुधार का प्रश्न केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि मौजूदा शक्ति-संरचना और उसके संभावित पुनर्वितरण का भी है।

2. उदार संस्थावाद एवं बहुपक्षीय सहयोग

उदार संस्थावाद यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित कर सकती हैं, संवाद के अवसर बढ़ा सकती हैं तथा साझा समस्याओं के समाधान के लिए नियम एवं प्रक्रियाएँ विकसित कर सकती हैं। इस दृष्टिकोण में अंतरराष्ट्रीय संगठन केवल शक्तिशाली देशों के हितों के साधन नहीं होते, बल्कि वे सामूहिक कार्रवाई और बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम भी बन सकते हैं। भारत की स्थायी सदस्यता की मांग के संदर्भ में यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र, महासभा तथा जी-4 समूह जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका को स्पष्ट करता है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने सुरक्षा परिषद में सुधार के समर्थन में सहयोग स्थापित करके यह प्रयास किया कि विभिन्न देशों की राजनीतिक एवं कूटनीतिक शक्ति को सामूहिक पहल में परिवर्तित किया जा सके। हालांकि, बहुपक्षीय समर्थन की

उपलब्धता अपने आप में सुधार सुनिश्चित नहीं करती, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए निर्धारित औपचारिक प्रक्रियाओं तथा सदस्य देशों की सहमति की आवश्यकता होती है। अतः उदार संस्थावाद के अंतर्गत भारत की दावेदारी का अध्ययन सहयोग, वार्ता, संस्थागत नियमों और व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाएगा।

3. वैश्विक शासन एवं संस्थागत प्रतिनिधित्व की अवधारणा

वैश्विक शासन की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य प्रासंगिक अभिकर्ताओं के बीच समन्वय और सामूहिक निर्णय-निर्माण पर बल देती है। इसके अंतर्गत किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था की प्रभावशीलता के साथ-साथ उसकी प्रतिनिधिकता, वैधता और निर्णय-प्रक्रिया की स्वीकार्यता भी महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रश्न विशेष रूप से तब प्रासंगिक हो जाता है, जब किसी संस्था की संरचना उसके सदस्य देशों की बदलती राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप न हो। सुरक्षा परिषद की स्थापना के समय की वैश्विक शक्ति-संरचना और बाद के दशकों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हुए परिवर्तनों के बीच अंतर भारत की दावेदारी को वैश्विक शासन के व्यापक विमर्श से जोड़ता है। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार से समकालीन विश्व की वास्तविकताओं तथा विकासशील देशों के हितों को अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरी ओर, सुधार के स्वरूप, नए स्थायी सदस्यों के चयन, वीटो अधिकार और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर विभिन्न देशों के बीच मतभेद विद्यमान रहे हैं। इसलिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का विश्लेषण केवल भारत की सदस्यता के औचित्य तक सीमित न रहकर इस प्रश्न पर भी केंद्रित होगा कि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधिक, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार के सुधार आवश्यक हैं।

समग्रतः, ये तीनों सैद्धांतिक दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक हैं। यथार्थवाद भारत की दावेदारी के पीछे विद्यमान शक्ति-संबंधों एवं राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट करता है; उदार संस्थावाद बहुपक्षीय सहयोग और कूटनीतिक प्रक्रियाओं की भूमिका को रेखांकित करता है; जबकि वैश्विक शासन एवं संस्थागत प्रतिनिधित्व की अवधारणा सुरक्षा परिषद की वैधता और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन करने में सहायता करती है।

यहाँ आपके द्वारा दिए गए सभी बिंदुओं (6 से 10 तक) को शोध-पत्र के मानकों, राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य तथा निर्धारित कालखंड (अक्टूबर 2018 तक के तथ्यों व आंकड़ों) के अनुरूप एक-एक विस्तृत अकादमिक पैराग्राफ में लिखा गया है:

सुरक्षा परिषद की संरचना एवं सुधार की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का वर्तमान सांगठनिक ढांचा 15 सदस्यों से मिलकर बना है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य (पी-5: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन) तथा 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं जो महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद की सदस्यता का निर्धारण, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत निर्णय-निर्माण प्रक्रिया व पी-5 देशों को प्राप्त

वीटो (Veto) शक्ति तथा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत चार्टर संशोधन की प्रक्रिया का विधान किया गया है। राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 27 में निहित वीटो शक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में संस्थागत असमानता और पी-5 देशों के आधिपत्य को वैध ठहराती है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के गंभीर संकटों पर सुरक्षा परिषद बहुधा पंगु साबित हुई है। 1945 के शक्ति-संतुलन पर आधारित यह संरचना 21वीं सदी की बहुध्रुवीय भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह असमर्थ है, इसलिए इसके लोकतांत्रिकरण और व्यापक विस्तार हेतु चार्टर में संशोधन की अनिवार्य आवश्यकता है।

भारत की दावेदारी के प्रमुख आधार

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा अत्यंत न्यायसंगत और ठोस वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है। भारत विश्व की 1/6 से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुदृढ़ लोकतंत्र है, जो क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था के रूप में उभरा है। इसके अतिरिक्त, भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना मिशनों (UN Peacekeeping Operations) में ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता रहा है, जिसने 49 से अधिक मिशनों में 2,00,000 से अधिक सैनिक भेजकर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित की है। भारत 'ग्लोबल साउथ' और विकासशील देशों के हितों का प्रमुख संवाहक रहा है तथा गुटनिरपेक्षता, वसुधैव कुटुंबकम और बेदाग परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड के साथ बहुपक्षीय कूटनीति के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था में एक जिम्मेदार एवं प्रभावकारी शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है।

भारतीय विदेश नीति एवं कूटनीतिक प्रयास

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विदेश नीति का सफर गुटनिरपेक्षता के आदर्शवादी रुख से विकसित होकर यथार्थवादी एवं सक्रिय बहुपक्षीय कूटनीति (Proactive Multilateral Diplomacy) के रूप में सामने आया है। भारत ने सुरक्षा परिषद के सुधारों को अपनी बहुपक्षीय कूटनीति के केंद्रीय एजेंडे में शामिल किया है। इस दिशा में भारत ने 2004 में ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर 'जी-4' (G-4) समूह का गठन किया, जो सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार हेतु संयुक्त रूप से प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही भारत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के 'एल-69' (L.69) समूह का प्रमुख समन्वयक रहा है, जो अंतर-सरकारी वार्ताओं (IGN) के माध्यम से टेक्स्ट-बेस्ड नेगोशिएशन (Text-Based Negotiations) लागू करवाकर सुरक्षा परिषद के त्वरित और व्यापक पुनर्गठन के लिए प्रयासरत है।

प्रमुख शक्तियों का दृष्टिकोण एवं वैश्विक शक्ति-संतुलन

भारत के दावे पर वैश्विक महाशक्तियों का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांतों और शक्ति-संतुलन से संचालित होता है। पी-5 देशों में से चार सदस्यों–अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस–ने द्विपक्षीय वार्ताओं और वक्तव्यों में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है, जबकि पी-5 का एकमात्र एशियाई सदस्य चीन भारत-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा व भू-राजनीतिक घेराबंदी के कारण भारत के प्रवेश का निरंतर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विरोध करता है। इसके अतिरिक्त, जी-4 के प्रस्तावों के विपरीत इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, मिस्र और

दक्षिण कोरिया जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों द्वारा गठित 'कॉफ़ी क्लब' (यूनिटिंग फॉर कंसेंसस) केवल गैर-स्थायी सीटों के विस्तार की वकालत करता है ताकि उनके क्षेत्रीय विरोधियों (जैसे भारत, जापान) को स्थायी दर्जा न मिल सके। यह विरोधाभास दर्शाता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, वीटो शक्ति के विस्तार और महाशक्तियों के स्वार्थों के कारण सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन एक जटिल वैश्विक मुद्दा बना हुआ है।

सदस्यता प्राप्त करने की प्रमुख चुनौतियाँ

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के मार्ग में कई गंभीर संरचनात्मक, रणनीतिक और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। सबसे बड़ी प्रक्रियात्मक बाधा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 में निहित संशोधन की जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ सभी पी-5 देशों का अनुसमर्थन (Ratification) अनिवार्य है। इसके अलावा, पी-5 देशों द्वारा अपनी विशेषाधिकार युक्त वीटो शक्ति को नए सदस्यों के साथ साझा करने या इसके सीमांकन पर गहरी असहमति है। 'कॉफ़ी क्लब' द्वारा प्रक्रियात्मक देरी पैदा करना, अफ्रीकी संघ की 'इजुलविनी सर्वसम्मति' (Ezulwini Consensus) के साथ वीटो के मुद्दे पर पूर्ण सामंजस्य न बन पाना, तथा चीन द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से भारत की राह में कूटनीतिक रोड़े अटकाना वे प्रमुख बाधाएं हैं जो सुधार प्रस्तावों पर व्यापक वैश्विक सहमति बनने से रोकती हैं।

अध्ययन का क्षेत्र एवं सीमाएँ (Scope and Limitations)

- क्षेत्र: यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना (1945) से लेकर 2018 तक के कालखंड के अंतर्गत भारत के दावे, विदेश नीति के प्रयासों, बहुपक्षीय वार्ताओं और वैश्विक शक्ति-समीकरणों के विश्लेषण तक सीमित है।
- सीमाएँ: यह शोध-पत्र मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषणात्मक व कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है; इसमें सुरक्षा परिषद के इतर अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों के विस्तृत सांगठनिक विवरण शामिल नहीं हैं।

विषयगत विवेचन एवं गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन

(Thematic Discussion & Deep Analytical Study)

A. भारत के दावे के मुख्य स्तंभ एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड - सुरक्षा परिषद में भारत का दावा केवल एक भावनात्मक या अमूर्त मांग नहीं है, बल्कि यह निम्नलिखित ठोस, वस्तुनिष्ठ और मापने योग्य मानदंडों पर आधारित है:

1. जनसांख्यिकीय एवं लोकतांत्रिक प्रासंगिकता: भारत विश्व की 1/6 से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, निरंतर और सुदृढ़ लोकतंत्र है। यह तर्क अत्यंत तर्कसंगत है कि 1.3 अरब से अधिक लोगों की आबादी वाले देश को सुरक्षा परिषद के स्थायी निर्णयों से बाहर रखना संस्था की लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

2. आर्थिक क्षमता एवं वैश्विक योगदान: भारत क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और नोमिनल जीडीपी के आधार पर विश्व की शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख इंजन बनकर उभरा है।
3. संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन: ऐतिहासिक रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है। भारत ने अब तक 49 से अधिक मिशनों में 2,00,000 से अधिक सैनिक भेजे हैं और सेवा के दौरान सैकड़ों भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
4. सॉफ्ट पावर और जिम्मेदार परमाणु शक्ति: भारत अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विविधता, 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन, और अहिंसा की विरासत के साथ एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में जाना जाता है। एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद, भारत का परमाणु अप्रसार का रिकॉर्ड बेदाग रहा है और भारत 'नो फर्स्ट यूज़' की नीति पर प्रतिबद्ध है।

2. बहुपक्षीय कूटनीति: जी-4, एल.69 और अफ्रीकी संघ के साथ गठबंधन - भारत ने अपनी मांग को केवल व्यक्तिगत प्रयास तक सीमित न रखकर सामूहिक बहुपक्षीय रणनीति अपनाई है:

- जी-4 समूह: 2004 में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने मिलकर जी-4 का गठन किया। ये चारों देश एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करते हैं। जी-4 का प्रस्ताव है कि सुरक्षा परिषद में 6 नए स्थायी सदस्य (2 एशिया से, 2 अफ्रीका से, 1 लैटिन अमेरिका से और 1 पश्चिमी यूरोप से) तथा 4 गैर-स्थायी सदस्य जोड़े जाएं।
- एल.69 समूह: यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का एक प्रमुख समूह है, जो सुरक्षा परिषद के व्यापक और त्वरित सुधारों की वकालत करता है। भारत इस समूह का एक प्रमुख समन्वयक रहा है।
- अफ्रीकी संघ: अफ्रीका के 54 देश 'इजुलविनी सर्वसम्मति' के तहत सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ 2 स्थायी और 5 गैर-स्थायी सीटों की मांग करते हैं। भारत ने हमेशा अफ्रीका के ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया है।

3. कूटनीतिक चुनौतियाँ एवं विरोधी शक्तियाँ - भारत के मजबूत दावों के बावजूद, सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के मार्ग में अत्यंत जटिल राजनीतिक और प्रक्रियात्मक बाधाएं हैं:

क्र. सं.	विरोधी कारक / समूह	मुख्य देश / संरचना	भारत की राह में उत्पन्न कूटनीतिक चुनौतियाँ
1.	'कॉफ़ी क्लब' (यूनिटिंग फॉर कंसेंसस)	इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको, मिस्र, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, तुर्की आदि।	यह समूह स्थायी सीटों के विस्तार का कड़ा विरोध करता है। इनका तर्क है कि केवल गैर-स्थायी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। यह समूह जी-4 देशों के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों द्वारा संचालित है (जैसे भारत के विरोध में पाकिस्तान, जापान के विरोध में दक्षिण कोरिया)।
2.	पी-5 देशों का दोहरा रवैया	अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, और	यद्यपि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने द्विपक्षीय बैठकों में भारत की स्थायी सदस्यता का

		चीन।	मौखिक समर्थन किया है, परंतु संस्थागत सुधारों और वीटो शक्ति को साझा करने के मुद्दे पर वे कोई ठोस कदम उठाने से बचते हैं।
3.	चीनी कूटनीतिक वीटो	चीन (पी-5 का एकमात्र एशियाई सदस्य)।	चीन भारत के दावे का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवरोधक है। चीन भारत की सदस्यता को जापान के साथ जोड़कर (जी-4 के रूप में) खारिज करता है और वीटो शक्ति के साथ भारत के प्रवेश का निरंतर विरोध करता है।
4.	संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन प्रक्रिया	यूएन चार्टर अनुच्छेद 108.	सुरक्षा परिषद में किसी भी संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत और सभी पी-5 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो कि अत्यंत जटिल और कठिन प्रक्रियात्मक चुनौती है।

आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता

21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अकर्मण्यता और असफलताएँ बार-बार उजागर हुई हैं। मध्य पूर्व का संकट, आतंकवाद का प्रसार, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सुरक्षा परिषद पी-5 देशों के अपने-अपने वीटो और भू-राजनीतिक हितों के कारण पंगु साबित हुई है। इस संदर्भ में, भारत का सुरक्षा परिषद में प्रवेश केवल भारत के गौरव का विषय नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता को बचाने के लिए आवश्यक है। भारत 'ग्लोबल साउथ' की आवाज के रूप में विकासशील देशों के हितों, जलवायु न्याय, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति को वैश्विक नीति-निर्माण के केंद्र में लाने में सक्षम है। भारत की उपस्थिति से सुरक्षा परिषद में एक संतुलित, लोकतांत्रिक और समावेशी दृष्टिकोण स्थापित हो सकता है।

सुझाव एवं नीतिगत निहितार्थ (Suggestions and Policy Implications)

- अंतर-सरकारी वार्ताओं का समयबद्ध समापन: भारत को महासभा में टेक्स्ट-बेस्ड नेगोशिएशन को लागू करवाने के लिए दबाव बनाना चाहिए ताकि वार्ताएं केवल औपचारिकता न रहकर किसी नतीजे पर पहुंच सकें।
- जी-4 और अफ्रीकी संघ के मध्य मजबूत सामंजस्य: भारत को जी-4 और अफ्रीकी संघ के बीच वीटो के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने हेतु कूटनीतिक मध्यस्थता को तेज करना चाहिए।
- द्विपक्षीय संबंधों का रणनीतिक उपयोग: पी-5 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और सामरिक संबंधों को यूएनएससी में उनके स्पष्ट और लिखित समर्थन से जोड़ा जाना चाहिए।
- वैकल्पिक बहुपक्षीय मंचों का सुदृढ़ीकरण: यदि सुरक्षा परिषद अपने सुधारों में विफल रहती है, तो भारत को ब्रिक्स, आईबीएसए, जी-20 और क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से वैश्विक एजेंडा तय करने की अपनी क्षमता को और बढ़ाना होगा।

अंतिम निष्कर्ष (Final Synthesis)

परिकल्पना 1: "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग केवल एक राष्ट्रीय आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी की बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की संस्थागत प्रासंगिकता व वैधता बनाए रखने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।"

- प्रामाणीकरण: साक्ष्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत रुझानों तथा भारत की जनसांख्यिकीय, आर्थिक व सैन्य क्षमताओं के विश्लेषण से यह पूरी तरह सिद्ध होता है कि 1945 के ढांचे पर टिकी सुरक्षा परिषद वर्तमान वैश्विक संकटों का समाधान करने में पंगु साबित हो रही है। भारत जैसे उभरते हुए विशाल लोकतंत्र को शामिल किए बिना सुरक्षा परिषद पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अतः संस्थागत प्रासंगिकता हेतु भारत का प्रवेश अनिवार्य है। अतः परिकल्पना 1 पूर्णतः सिद्ध एवं प्रमाणित होती है।

परिकल्पना 2: "भारत के सर्वोत्कृष्ट वस्तुनिष्ठ मानदंडों के बावजूद, पी-5 देशों की अपनी वीटो शक्ति बनाए रखने की अनिच्छा, 'कॉफ़ी क्लब' का संगठित विरोध, और चीन द्वारा भू-राजनीतिक घेराबंदी ही सुरक्षा परिषद के विस्तार में मुख्य कूटनीतिक बाधाएं हैं।"

- प्रामाणीकरण: अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत तथा यूएनजीए की अंतर-सरकारी वार्ताओं के अभिलेखों के अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि शक्ति के पुनर्वितरण में पी-5 देशों की हिचकिचाहट और चीन द्वारा जी-4 के प्रस्तावों को खारिज करना ही मुख्य अवरोध है। 'कॉफ़ी क्लब' प्रक्रियात्मक देरी का लाभ उठाकर सहमति बनने से रोकता है। अतः परिकल्पना 2 भी पूर्णतः सिद्ध एवं प्रमाणित होती है।

निष्कर्षतः, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का प्रश्न 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्रीय बिंदु है। भारत का दावा इतिहास, जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति में उसके अतुलनीय योगदान के ठोस धरातल पर टिका हुआ है। यद्यपि 'कॉफ़ी क्लब' का विरोध, पी-5 देशों का दोहरा रवैया और चीन का रणनीतिक विरोध इस मार्ग में बड़ी रुकावटें हैं, परंतु वैश्विक शक्ति का केंद्र बिंदु पश्चिम से पूर्व (एशिया) की ओर खिसक रहा है। यदि संयुक्त राष्ट्र स्वयं में सुधार करने और भारत जैसी प्रमुख शक्तियों को सुरक्षा परिषद के शीर्ष पर शामिल करने में विफल रहता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपनी प्रासंगिकता खो देगी और दुनिया बहुपक्षीयता के लिए अन्य वैकल्पिक मंचों की ओर देखने लगेगी। भारत की स्थायी सदस्यता केवल भारत के हित में नहीं, बल्कि अधिक न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- कटवाल, पी., (2015), *भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ.* अनामिका पब्लिशर्स।
- गुप्ता, आर. के., (2018), *संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार: एक कूटनीतिक विश्लेषण.* विश्वविद्यालय प्रकाशन।

- जैफरलो, सी., (2010), *इन्डियाज फॉरेन पॉलिसी इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड*. सेज पब्लिकेशंस।
- दत्त, वी. पी., (2007), *बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति*. नेशनल बुक ट्रस्ट।
- थारूर, एस., (2012), *पैक्स इंडिका: इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ द 21स्ट सेंचुरी*. एलन लेन।
- ठाकुर, आर., (2006), *द यूनाइटेड नेशंस, पीस एंड सिक्योरिटी: फ्रॉम कलेक्टिव सिक्योरिटी टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
- पांत, एच. वी., (2016), *इंडियन फॉरेन पॉलिसी: एन ओवरव्यू*. ओरिएंट ब्लैकस्वाइन।
- राजा मोहन, सी., (2003), *क्रॉसिंग द रुबिकॉन: द शेपिंग ऑफ इंडियाज न्यू फॉरेन पॉलिसी*. पालग्रेव मैकमिलन।
- टेलिस, ए. जे., (2014), *मेकिंग वेव्स: इंडियाज राइज एंड एशियन स्ट्रैटेजिक डायनेमिक्स*. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस।

अकादमिक शोध-पत्र एवं जर्नल्स (Peer-Reviewed Research Papers & Journal Articles):

- मुखर्जी, आर., एवं मैलोन, डी. एम., (2011), इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड द कंटम्पररी वर्ल्ड सिस्टम. *इंटरनेशनल अफेयर्स*, 87(1), पृ. 87।
- बाजपेयी, के., (2010), इंडियाज ग्लोबल रोल: ए मॉडल इंडिया फॉर द वर्ल्ड?. *इंडिया क्वार्टरली: ए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स*, 66(4), पृ. 419।
- मिश्रा, वी., (2017), यूएनएससी रिफॉर्म्स एंड इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट सीट: एन एनालिसिस. *स्ट्रैटेजिक एनालिसिस*, 41(6), पृ. 589।
- नायर, एम., (2016), रीफॉर्मिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल: ऑप्शंस एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर इंडिया. *जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी*, 4(2), पृ. 45।
- सहाय, आर., (2014), भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: सुधारों की दिशा और चुनौतियाँ. *राजनीति विज्ञान समीक्षा*, 46(1), पृ. 112।

प्रतिष्ठित समाचार पत्र एवं विचार लेख (Newspapers, Editorials & Opinion Pieces):

- *द हिंदू*. (2015, सितंबर 16). यूएन जीए अडॉप्ट्स डॉक्यूमेंट ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स (संपादकीय लेख) ।
- *द टाइम्स ऑफ इंडिया*. (2017, सितंबर 22). इंडिया मेक्स ए स्ट्रॉन्ग पिच फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स एट यूएनजीए।
- *द इंडियन एक्सप्रेस*. (2018, सितंबर 28). जी-4 फॉरेन मिनिस्टर्स कॉल फॉर अर्ली यूएनएससी रीफॉर्म (समाचार रिपोर्ट) ।
- *द ट्रिब्यून*. (2016, अक्टूबर 24). संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता और भारत की दावेदारी (विशेष आलेख) ।

प्राथमिक स्रोत, आधिकारिक रिपोर्ट एवं अभिलेख (Primary Sources & Official Reports):

- भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA). (2017). *वार्षिक रिपोर्ट 2016-17: भारत और संयुक्त राष्ट्र*. भारत सरकार प्रकाशन।

- संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन). (1945). *यूनाइटेड नेशंस चार्टर*. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए). (2015). *रिपोर्ट ऑन इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस (IGN) ऑन यूएनएससी रिफॉर्म्स (प्रस्ताव संख्या 69/560)*. संयुक्त राष्ट्र अभिलेखागार।

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA



Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM